प्रकरण संख्या 47 / 14 2014 / 00032 ता0रजू 18.06.2014

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया (आई.ए.एस.)

1. जगमोहन पुत्र बुधू उम्र 41 साल जाति जाटव निवासी कैलादेवी तहसील व जिला करौली (राज0)
2. रामनारायण पुत्र मांगीलाल उम्र 32 साल जाति जाटव निवासी कैलादेवी तहसील व जिला करौली (राज0)

— अपीलाण्ट्स

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील करौली जिला करौली — रेस्पोण्डेण्ट

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 09.12.2013 व उनवानी प्रकरण सरकार बनाम जगमोहन वगै0 मु0नं0 501 / 13 के जरिये आराजी खसरा नं0 2865 / 1 रकवा 1 विस्वा पर अतिक्रमण मानते हुये दुकान के निर्माण को हटाये जाने के आदेश दिये गये है।

निर्णय

दनांक–19.06.2019

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण अपीलाण्ट की ओर से नोटिस दिनांक 03.12.2013 का मिलने के उपरान्त जबावदेही की है एवं जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है उनका कोई विवेचन किये बगैर छपे हुये परफोर्मा पर मनमाने तौर पर आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी की दुकान के अतिरिक्त अन्य दुकान पुश्तैनी तौर पर बनी हुई है। इन्हीं में अपीलाण्ट मय परिवार रिहायश कर रहे है। इन तथ्यों को योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने नजरअंदाज करते हुये निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। प्रार्थीगण के खिलाफ हल्का पटवारी ने केवल उनकी इच्छापूर्ति करने न करने के कारण गलत रिपोर्ट कर नोटिस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी कराया है। नोटिस में इस प्रकार के कोई तथ्य दर्ज नहीं है। प्रार्थी ने कैलादेवी मंदिर मार्ग पर लैशमात्र भी अतिक्रमण नहीं किया है ना ही कोई नवीन निर्माण किया है विस्तृत जबावदेही अधीनस्थ न्यायालय में इस प्रकरण में एवं इससे पूर्व भी की जा चुकी है। सन् 2000 तक के अतिक्रमणों को नियमित किये जाने की राज0 सरकार की नीति होते हुये भी सामान्य प्रकरणों की तरह निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी रिहायश व आजीविका हेतु विधुत सम्बन्ध व जलदाय विभाग से नल पानी लगा रखा है और दैनिक रूप से बिल जमा कराकर बिजली व पानी का उपयोग उपभोग कर रहे है। इन तथ्यों का हल्का पटवारी द्वारा लैशमात्र भी खंडन किये बगैर प्रार्थी की नियमन बावत् पत्रावली पर लैशमात्र भी विचार न करते हुये निर्णय पारित करने में विधि की भारी भूल की है। इसलिये निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त होने योग्य है। प्रार्थीगण सन् 1987 से पूर्व विवादित जमीन पर स्थायी तौर पर काबिज चले आ रहे है और परिवार सदस्य व मवेशी का लालन–पालन इन्हीं दुकानों से कर रहे है। इसी सम्बन्ध मं पूर्व में भी 900 वर्गगज भूमि के

जिला कलक्टर
करौली

नियमन सम्बन्धी प्रार्थना पत्र की पत्रावली तहसीलदार करौली के यहाँ न तो उनको अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जेर अपील पारित करते समय शामिल ना ही प्राथीगण के हक में नियमन की सिफारिश हेतु उप जिला कलक्टर करौली के यहाँ पत्रावली को प्रेषित किया जबकि आनन–फानन में निर्णय मात्र तीन दिन मे बगैर साक्ष्य सबूत मौके की जांच किये बगैर पारित करके विधि की भारी भूल की है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09.12.2013 के निर्णय की कोई जानकारी दिनांक 05.06.2014 नहीं दी। दिनांक 06.06.2014 को हल्का गिरदावर द्वारा जानकारी मिलने पर उसी रोज नकल प्रार्थना पत्र दिनांक 06.06.2014 को प्रस्तुत किया जिसकी नकल प्रार्थीगण को जरिये एडवोकेट दिनांक 09.06.2014 को प्राप्त हुई। इससे पूर्व प्रार्थीगण को उक्त निर्णय की कोई जानकारी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दी गई और ना ही हल्का पटवारी द्वारा निर्णय के मुताबिक शास्ती जमा करने बाबत् आज तक कोई सूचना नहीं दी है। इसलिये यौम निर्णय से अपील प्रस्तुत करने के समय को धारा 5 म्याद अधिनियम के अन्तर्गत क्षम्य किया जाना आवश्यक है। इसलिये पृथक से दफा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी व उसके पिता सन् 1987 से पूर्व से काबिज हैं एवं स्थायी तौर पर निवास करते आ रहे हैं। उक्त भूमि के अंदर ही 1987 से दुकानें स्थित हैं जिनमें नल–बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को सुनवाई का मौका नहीं देकर, प्रस्तुत दस्तावेजों का विवेचन किये बिना प्रिण्टेड फॉर्म पर ही निर्णय पारित कर दिया है जो न्यायालय ए.डी.जे. करौली के निर्णय दिनांक 12.09.2011 के विपरीत है। प्रार्थीगण ने 900 वर्गगज भूमि के अकृषि प्रयोजन के संपरिवर्तन करने हेतु पत्रावली भी दिनांक 28.07.2008 को पेश कर दी जिसमें 7 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी निस्तारण नहीं किश्स है ना ही निर्णय में हवाला दिया है। धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही के साथ– साथ आवंटन / नियमन का कर्तव्य भी तहसीलदार का ही है। सन् 2008 से संपरिवर्तन की पत्रावली भी तहसीलदार करौली के यहां प्रस्तुत है और पूर्व में भी 1992 में प्रार्थीगण के पिता मांगीलाल द्वारा 7200 / – रुपये राजकोष में चालान सं0 4 से जमा है जिनको तहसीलदार ने लेशमात्र भी अपने निर्णय में विवेचन नहीं किया है और ना ही उक्त राशि आज तक प्रार्थीगण को लौटाई है। 1994 के पूर्व के अतिक्रमणों को नियमन करने के संबंध में राज्य सरकार के परिपत्रों द्वारा प्रावधान किये गये हैं। इस प्रकार तहसीलदार को नियमन के लिये उक्त प्रकरण को उपजिला कलक्टर करौली को भिजवाया जाना चाहिये था। प्रकरण को नियमन के लिए उपजिला कलक्टर करौली को मय दस्तावेज भिजवाया जाना आवश्यक है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

जिला कलक्टर
करौली

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा बिना किसी अधिकार के ग्राम कैलादेवी के आराजी खसरा नं. 2865 / 1 किस्म सिवायचक के 01 विस्वा भूमि पर दुकान का निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है जिसके विरुद्ध नियमानुसार धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। नियमन एक अलग प्रक्रिया है। जब तक नियमन नहीं हो जाता तब तक सरकारी सिवायचक भूमि पर किया गया अतिक्रमण अवैध ही कहलाता है। पूर्व में किया गया संपरिवर्तन माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा अपने आदेश दिनांक 12.06. 1997 द्वारा निरस्त किया जा चुका है। अपीलाण्ट्स को विधिवत् सुनवाई का अवसर देते हुए नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण कर निर्णय पारित किया है। निर्णय न्यायालय ए.डी.जे. करौली दिनांक 12.09.2011 में भी ये ही निर्देश हैं कि विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना बेदखल नहीं करें अर्थात् विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए बेदखल किया जा सकता है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलाण्ट ने ग्राम कैलादेवी के आराजी खसरा नं. 2865 / 1 किस्म सिवायचक के 01 विस्वा भूमि पर अवैध रूप से दुकान निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है जो अपीलाण्ट का भी स्वीकृत तथ्य है जिसके विरुद्ध रेस्पोण्डेण्ट द्वारा धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की गई है। नियमन अलग प्रक्रिया है। नियमन होने तक अतिक्रमण अवैध ही कहलाता है। अपीलाण्ट्स को विधिवत् नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किया गया है। हम रेस्पोण्डेण्ट के कथनों से सहमत हैं। अतः अपील अपीलाण्ट को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। रेस्पोण्डेण्ट को आदेश दिये जाते हैं कि वह सरकारी सिवायचक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ तहसीलदार करौली को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली